

कार्यालय आदेश सं.75/2017

महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं.24, पृष्ठा सं.- का/ 210/7-4/एसएजी/भाग-।  
(1) गोरखपुर, दिनांक-27.01.2017 द्वारा श्री वी.के. किस्कु, वर्मविई(टीआरडी)वाराणसी का स्थीनांतरण स्वयं के  
अनुरोध पर दक्षिण पूर्व रेलवे/कोलकाता किया गया है, को तत्काल प्रभाव से प्रभित किया जाता है।

उपरोक्त पर मंरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सहायक कार्मिक अधिकारी

वाराणसी

दिनांक 13.04.2017

सं. का/191/राज/ वी.के.किस्कु/पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/दक्षिण पूर्व रेलवे/कोलकता।
5. दिसम्बुलेशि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. विरामुलेशि/दक्षिण पूर्व रेलवे/कोलकता।
7. उप मुद्रानी(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
8. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
9. उमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वगंकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
12. मण्डल मंत्री/नरगू एवं आजा-अज्जा एसो।।
13. सम्बन्धित अधिकारी।

कृते मण्डल किस्कु (कार्मिक)  
वाराणसी